संख्या–383793/IV(2)-शा0वि0–2026–12(सा0)024 (53160)

प्रेषक,

प्रदीप कुमार शुक्ल,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक 30 मार्च, 2026**

विषयः अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–2026 में विभिन्न नगर निकायों हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में "अवस्थापना विकास निधि योजना" के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित कार्यों हेतु कुल रू0 347.83 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए **कुल रू0 129.16 लाख (रूपये एक करोड़ उन्तीस लाख सोलह हजार मात्र)** की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:– **(धनराशि रू0 लाख में)**

क्र. स.	नगर निकाय का नाम	कार्य का नाम	लागत	निकाय अंश	स्वीकृत धनराशि
1.	नगर निगम, देहरादून	वार्ड–54 अजबपुर मिनी स्टेडियम का जीर्णोद्धार, सौन्दर्यीकरण एवं अन्य आवश्यक कार्य।	99.72	49.86 (50%)	29.92 (60%)
3.	नगर पंचायत, गूलरभोज	पर्यटन स्थल नगर पंचायत, गूलरभोज में हरिपुरा जलाशय मार्ग व कोपा मार्ग एवं गूलरभोज–दिनेशपुर मार्ग चन्दायन में मुख्य मार्गों के दोनों ओर इण्टरलॉकिंग कंक्रीट ब्लॉक पेवमेन्ट फुटपाथ एवं नाली निर्माण कार्य।	248.11	-	99.24 (40%)
योग–			**347.83**	**49.86**	**129.16**

2– उक्त धनराशि की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :–

(1) उक्त धनराशि **कुल रू0 129.16 लाख (रूपये एक करोड़ उन्तीस लाख सोलह हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर सम्बन्धित नगर निकायों को इलैक्ट्रॉनिक माध्यम/यथा प्रकिया अविलम्ब उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय। तत्सम्बन्ध में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व नगर निगम के सम्बन्धित अधिकारी/सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी का होगा।

(3) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु नगर निगम के सम्बन्धित अधिकारी/सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी।

(4) प्राविधिक स्वीकृति हेतु शा0सं0 149101/XXVII(7)/E-20109/2022, दिनांक 25.08.2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

Scanned with OKEN Scanner

(5) स्वीकृत योजना के सापेक्ष समयावृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।

(6) प्रश्नगत कार्यो हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में कर लेंगे अर्थात किसी भी दशा में किसी भी स्तर पर Parking of Fund नहीं किया जायेगा तथा आगणन में उल्लिखित मदों के अनुसार कार्य कराये जाने का उत्तरदायित्व नगर निगम के सम्बन्धित अधिकारी/सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी का होगा।

(7) कार्यों की स्वीकृत लागत के सापेक्ष निविदा उपरान्त सफल निविदादाता से किये गये अनुबन्धानुसार वास्तविक व्यय के आधार पर धनराशि व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत लागत के सापेक्ष व्यय के फलस्वरूप यदि धनराशि अवशेष बचती है तो अवशेष बचत धनराशि को राजकोष में जमा किया जायेगा।

(8) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में नगर निगम के सम्बन्धित अधिकारी व अभियंता/सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व अभियंता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(9) कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में नगर निगम के सम्बन्धित अधिकारी व अभियंता/सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व अभियंता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(10) स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

(11) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(12) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्ठियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

(13) आगणन गठित करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, प्रचिलित उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(14) नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी। जनसुविधार्थ स्वीकृत योजना की कार्यलागत एवं योजना की समयावधि का विवरण सार्वजनिक किया जायेगा।

(15) उक्त योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात कार्य स्थल के फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी/अभियंता द्वारा संरक्षित रखे जायेंगे तथा कार्य समाप्ति के एक माह के भीतर उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप में (कार्यस्थल से सम्बन्धित फोटोग्राफ) अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(16) आगणन में सिविल निर्माण कार्य हेतु डी0एस0आर0/एस0ओ0आर0 एवं नॉन शिडयूल मदों हेतु यदि बाजार की दरें ली गई हैं, तो विशिष्टयों तथा दरों में परिर्वतन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि सम्बन्धित नगर निकाय योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदो का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें हैं।

(17) योजना में प्रयुक्त होने वाली निर्माण सामग्री के सम्बन्ध में हरसम्भव यह प्रयास किया जाय कि निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप प्रदेश के अन्तर्गत निर्मित होने वाली सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय ताकि प्रदेश के अन्तर्गत रोजगार सृजन को बढ़ावा मिले एवं राज्य को करों के रूप में राजस्व की भी प्राप्ति हो सकें। इस हेतु ठेकेदारों के साथ किये जाने वाले अनुबन्ध में उक्त का समावेश किया जाय।

(18) प्रश्नगत प्रस्ताव/आगणन के सम्बन्ध में जनपद स्तरीय टी0ए0सी0 द्वारा प्रदत्त Observation के निराकरण तथा शर्तों के अनुपालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व नगर निगम के सम्बन्धित अधिकारी व अभियंता/सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व अभियंता का होगा।

Scanned with OKEN Scanner

(19) नॉन शैड्यूल मदों की दरों/स्वीकृति का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व नगर निगम के सम्बन्धित अधिकारी व अभियंता/सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व अभियंता का होगा।

(20) धनराशि का अनिवार्य रूप से दिनांक 31.03.2026 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण, कार्यस्थल के फोटोग्राफ्स एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा और तद्नुसार अवशेष धनराशि की मांग शहरी विकास निदेशालय के माध्यम से शासन को की जायेगी।

(21) आगणन में सम्मिलित की जा रही जी0एस0टी0 देयता में प्राविधानित मदों की धनराशि पर वास्तवित एवं नियमानुसार/नवीन जी0एस0टी0 प्राविधानों के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय। उक्त मद में व्यय की जाने वाली धनराशि पर भिन्नता हेतु नगर निगम के सम्बन्धित अधिकारी/सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होगी।

(22) **निविदा स्वीकृत किये जाने पर योजना की लागत में होने वाली बचत (निविदा की लागत, स्वीकृत लागत से कम होने की दशा में) की धनराशि शासन को वापस की जाय। अपरिहार्य परिस्थितियों में अतिरिक्त कार्य किये जाने हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय तथा शासन को अवगत कराया जाय।**

(23) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग अनिवार्य रूप से दिनांक 31.03.2026 तक कर लिया जायेगा। **कार्य का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण, एल–1 विवरण, निकाय अंश व्यय होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।** तत्सम्बन्ध में प्राथमिक उत्तरदायित्व नगर निगम के सम्बन्धित अधिकारी/सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी और तदोपरान्त शहरी विकास निदेशालय के सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

2– उक्त के सबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक के अनुदान सं.– 13 के लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–04–नगरों का समेकित विकास–0401–मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास''–53– वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या:383771, दिनांक 30 मार्च, 2026 में प्राप्त उनकी सहमति से संलग्न एलॉटमेंट आई0डी0 के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त। 8260301300 71,

भवदीय,

Digitally signed by
PRADEEP KUMAR SHUKLA
Date: 30-03-2026
14:13:21

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री जी/मा0 शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3– आयुक्त, कुमॉयू मण्डल/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
4– सम्बन्धित जिलाधिकारी।
5– नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।
6– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
7– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।

Scanned with OKEN Scanner

8– वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9– अधिशासी अधिकारी, नगर निकाय, गूलरभोज।
10– गार्ड बुक।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार शुक्ल,
उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)

Secretary-Secretary, Urban Development(S054)

HOD-Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या -013

आवंटन आई डी-S26030130071
आवंटन पत्र दिनांक-30-MAR-2026

लेखा शीर्षक	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
	051-निर्माण	04-नगरों का समेकित विकास
	01-मलिन बस्ती विकास / नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास	Voted

4	2	1	7	0	3	0	5	1	0	4	0	1

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	253010100	12916000	0	265926100
योग	253010100	12916000	0	265926100

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.1,29,16,000 (Rupees One Crore Twenty Nine Lacs Sixteen Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

Scanned with OKEN Scanner